TS

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त अजमेर
पत्र प्रा.क्र. 2685 दिनांक 16/7/12

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक : F-48(181/12)PW/AS/12/D-SPL-I दिनांक: 9.7.12

1. मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, पथ, प्र0म0ग्रा0स0यो0, ~~पक्का~~, वि0यो0।
2. अति0 मुख्य अभियन्ता,
संभाग– जयपुर प्रथम, द्वितीय, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर।

परिपत्र

विषय :– बांधो/जलाशयों के कैचमेन्ट एरिया में रोड/भवन बनाने के लिये जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में सडकों एवं भवनों का निर्माण करवाया जाता है। बांधों, जलाशयों एवं अन्य जल स्त्रोतों के कैचमेन्ट एरिया में बहाव क्षेत्र में सडकों व भवनों का निर्माण करने से पानी की आवक पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा अवरोध पैदा हो जाता है जिसकी वजह से बांधों, जलाशयों एवं जल स्त्रोतों में पानी नहीं पहुंच पाता तथा वे खाली रह जाते हैं। राज्य में कई क्षेत्रों में यह स्थिति सामने आयी है तथा न्यायालय में भी इस सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। इस समस्या के संबंध में उच्च स्तर पर गम्भीर विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि :–

1. राज्य में बांधों, जलाशयों व अन्य जल स्त्रोतों के कैचमेन्ट एरिया में सर्वे करके निर्मित ऐसी सडकों व भवनों को चिन्हित किया जावे जिनकी वजह से पानी की आवक/बहाव में रूकावट आयी है।
2. भविष्य में जलाशयों एवं बांधों के कैचमेन्ट एरिया में सडक या भवन का निर्माण जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जावे।
3. राज्य में जो गांव/कस्बे बांधों व जलाशयों के कैचमेन्ट एरिया में आते हैं उनकी सूची रिसोर्सेज डिपार्टमेन्ट (डब्ल्यू0आर0डी0) से प्राप्त की जावे।
4. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना तत्काल की जावे।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की उदासीनता व लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा, अतः सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

Sd-
(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0नि0वि0, राज0।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, सा0नि0वि0, राज0।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, (नोडल ऑफिसर), जल भवन, जयपुर।
4. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, राज0।

9/7/12
(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव

No ACE/AJ/TECH/F2(39)/D- 3349-52 Date 13/7/12
copy to SE, PWD, circle Ajmer/Bhilwara/Nagaur/Tonk for inf & immediate strict compliance & submit compliance report.

(B.L. Bairwa)
TA to ACE
PWD, Zone Ajmer